

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 1973/भाद्रा 15, 1895
No. 205 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 1973/BHADRA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th September 1973

SUBJECT:—Import Policy for Registered Exporters for the period April 1973—March 1974 (Amendment No. 37).

No. 147-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Volume II) for the period April 1973—March 1974 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC(PN)/73, dated the 2nd April, 1973.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below:—

Page No. of the red Book (Vol. II).	Reference	Amendments
81	A, 116.6 Col. 5	The following remarks may be inserted in Col. 5 “(1) Nomination may be made in favour of a manufacturer of electric motors.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1973

विषय अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 37) ।

संख्या 147 आई० टी० सी० (पी० एन०)/73—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 46—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 2-4-73 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिये निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किये जायें :—

रेडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
81.	ए. 116 6	निम्नलिखित टिप्पणियां कालम 5 में जोड़ी जाएं :—
	कालम—5	(1) विद्युत मोटरों के निर्माणकर्ता के हक में नामांकन किया जाए ।”

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।